न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 148 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व0 छोटेलाल, निवासी–134 गढ़ीकैन्ट, देहरादून।

निगरानीकर्ता।

बनाम

1.तहसीलदार विकासनगर , जिला देहरादून।

2.राजकुमार बतरा पुत्र स्व0 सुन्दरलाल बतरा निवासी सी–28 साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–1, नई दिल्ली–53

3.मा0 उसामा महमूद ना0बा0 आयु 12 वर्ष पुत्र स्व0 महमूद अहमद सिद्दकी द्वारा सरंक्षिका माता श्रीमती रूबीना प्रवीन पत्नी स्व0 महमूद अहमद निवासी रूबीना मंजिल 2662 गली, कोतवाली कुच्चा चलाना, दरियागंज, नई दिल्ली

4. श्रीमती रूबीना प्रवीन पत्नी स्व0 महमूद अहमद निवासी रूबीना मंजिल 2662 गली, कोतवाली कुच्चा चलाना, दरियागंज, नई दिल्ली

5.नवीन कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 ओम प्रकाश गुप्ता निवासी 213–गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

6.अपराजित भण्ड़ारी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी निवासी 19 आमबाग, गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

7.श्रीमती बिमला भण्ड़ारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह भण्डारी निवासी 19 आमबाग, गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

8. प्रवीण जोशी पुत्र बी0डी0 जोशी निवासी तिलधुकरी पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

9. श्रीमती मंजरी गोस्वामी पत्नी प्रान्जल ज्योति गोस्वामी निवासी जी 8 / 3 मालवीय नगर, नई दिल्ली हाल निवासी मार्फत 013 गोल्डन कार्नर अपार्टमेन्ट बैलेन्डूर गेट सरजापुर रोड़ बंगलौर

प्रतिउत्तरदातागण

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एम0एस0पंवार एवं संदीप बर्तवाल।।

अधिवक्ता उत्तरदाता 8 व 9 : श्री राजेश प्रकाश शर्मा।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने तहसीलदार, विकासनगर द्वारा कार्यवाही संख्या–5569 / 2009–10 अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 दुर्गा प्रसाद बनाम मा0 उसामा आदि में पारित आदेश दिनांक 18–12–2014 एवं 12–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी–134 गढ़ीकैन्ट देहरादून एवं उत्तरदाता संख्या–5 नवीन कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी–213 गढ़ीकैन्ट, देहरादून ने विक्रय पत्र दिनांक 23–06–2010 जो उपनिबन्धक कार्यालय,

विकासनगर में दिनांक 21–07–2010 को पंजीकृत हुआ है के आधार पर मौजा–धौलास की भूमि खाता संख्या–172 खसरा नम्बर–803, 811मि0, 812मि0, एवं 819मि0 कुल रकवा–0.0717 हे0 के सम्बन्ध में नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान तहसीलदार विकासनगर ने क्षेत्रीय लेखपाल व रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या दिनांक 20–04–2011 के आधार पर वाद निर्विवाद होने पर नामान्तरण वाद आदेश दिनांक 20–04–2011 से स्वीकार किया। उत्तरदाता संख्या–2 राजकुमार बत्रा पुत्र स्व0 सुन्दरलाल बत्रा निवासी सी–28 साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट–1 नई दिल्ली 53 ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 आदेश दिनांक 20–04–2011 को वापस लिये जाने हेतु इस आशय से प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए उत्तरदाता संख्या–8 व 9 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी0पी0सी0 का इस आशय से प्रस्तुत किया कि वे वाद की कार्यवाही में आवश्यक पक्ष है अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाय जिसपर विद्वान तहसीलदार, विकासनगर ने आदेश दिनांक 18–12–2014 पारित करते हुए उन्हें पक्षकार बनाया गया। इस आदेश एवं इस आदेश को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 12–04–2016 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण संख्या–8 व 9 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का अध्ययन किया।

इस निगरानी का मुख्य आधार यह है कि मूल नामान्तरण कार्यवाही संख्या–5569/2009–10 दुर्गा प्रसाद बनाम मा0 उसामा आदि में पारित आदेश दिनांक 20–04–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत उत्तरदाता सख्या–2 द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही पुनर्जीवन/पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 23–08–2012 के निस्तारण के बिना ही उत्तरदाता संख्या–8 व 9 को मूल नामान्तरण की कार्यवाही में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से दिनांक 18–12–2014 को स्वीकार किया गया।

उभयपक्ष स्वीकार करते हैं कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही में प्रस्तुत पुनर्जीवन/पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अभी भी लम्बित है एवं तद्नुसार मूल नामान्तरण की कार्यवाही अभी पुनर्जीवित नही हुई है। मूल नामान्तरण कार्यवाही की वर्तमान उक्त स्थिति के दृष्टिगत पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी आक्षेपित आदेश दिनांक 18–12–2014 निष्फल है क्योंकि मूल कार्यवाही पुनर्जीवित होने के बाद ही उसमें किसी हितबद्व पक्ष को पक्षकार बनाया जा सकता है तद्नुसार आदेश दिनांक 18–12–2014 अपरिपक्व है। विद्वान तहसीलदार को चाहिए था कि वे सर्वप्रथम कार्यवाही पुनर्जीवित/पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करते एवं मूल नामान्तरण की कार्यवाही के पुनर्स्थापित होने की स्थिति में उत्तरदाता संख्या–8 व 9 का पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करते। विद्वान तहसीलदार का यह आदेश तात्कालिक अनियमितता से ग्रसित है। तद्नुसार आक्षेपित आदेश दिनांक 18–12–2014 अपास्त होने योग्य है।

जहाँ तक आदेश दिनांक 12–04–2016 का प्रश्न है आदेश दिनांक 18–12–2014 के अपास्त होने की स्थिति में इस आदेश दिनांक 18–12–2014 को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने से प्रकरण की उक्त स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों में उद्धरित विधिक प्राविधानों के सम्बन्ध में तर्क का प्रश्न है यह महत्वपूर्ण नही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है अथवा राजस्व न्यायालय नियमावली (आर0सी0एम0) के प्राविधान लागू होते है। महत्वपूर्ण यह है कि हितबद्ध पक्ष पक्षकार बनाये जाने का आवेदन कर सकता है। यदि विधिक प्राविधानों को त्रुटिपूर्ण रूप से उद्धरित किया गया हो तो उन्हें संशोधित किया जा सकता है। मात्र इस आधार पर कोई आवेदन या प्रार्थना अस्वीकार नही हो सकती है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के मूल नामान्तरण एवं उससे उपजे प्रकरणों के गुणावगुण से सम्बन्धित अन्य तर्क इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं हैं जिन्हें वे उचित स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेश

निगरानी स्वीकर कर आक्षेपित आदेश दिनांक 18–12–2014 अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वह सर्वप्रथम पुनर्जीवन/पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें एवं मूल नामान्तरण की कार्यवाही के पुनर्स्थापित होने की दशा में पक्षकार बनाने सम्बन्धी आवेदन दिनांक 20–03–2014 का सुनवाई कर विधिसम्मत निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक 29–09–2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों उक्त तिथि तक पक्षकार विवादित भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस व इसं न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **24–08–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।